न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला नागौर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री बाबुलाल जाट (**RAS**)

राजस्व वाद संख्या :– 355/2021 **GCMS 2021/1188**

वादी

1. सरोज चौधरी पत्नी सुनील चौधरी उम्र 35 वर्ष निवासी सुभाष कॉलोनी, कृषि उपज मण्डी के सामने, तहसील व जिला सीकर राजस्थान, हाल निवासी जैन कॉलोनी, अहिंसा सर्किल, डीडवाना रोड़ कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान

बनाम

प्रतिवादीगण:–

1. अनिलकुमार पुत्र श्री अन्नालाल
2. गोपाल पुत्र सुवाराम
3. गोपाल पुत्र सेवाराम
4. जयराम पुत्र सेवाराम
5. जयराम पुत्र सुवाराम
6. नरेन्द्र कुमार पुत्र जीवणराम
7. प्रसान्त कुमार पुत्र अन्नालाल
8. महावीर पुत्र गजाधर
9. विजय कुमार पुत्र अन्नालाल
10. सुरेन्द्र कुमार पुत्र जीवणराम
11. हणमान पुत्र सुवाराम
12. हनुमान प्रसाद पुत्र सेवाराम प्रतिवादी 1 ता 12 समस्त जाति रैगर निवासी कुचामन सिटी
13. कमलकांत पुत्र रामेश्वरलाल जाति जाट निवासी कुचामन सिटी, जिला नागौर,
14. देवाराम पुत्र जीवणराम जाति जाट निवासी लाम्बी ढेरी, ग्राम ईण्डाली, तहसील नांवा,
15. कमलेशकंवर पत्नी अमरसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम इन्दोखा, तहसील नांवा,
16. चान्दकंवर पत्नी महेन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम इन्दोखा, तहसील नांवा,
17. कमलादेवी पत्नी सांवरमल जाति मेघवंषी ग्राम लालास तहसील नांवा जिला नागौर,
18. किरणकंवर पत्नी बजरंगसिंह
19. दिलीपसिंह पुत्र बजरंगसिंह
20. नरपतसिंह पुत्र बजरंगसिंह
21. प्रभातप्रकाशसिंह पुत्र हनुवंतसिंह
22. प्रमिला राठौड़ पत्नी लोकेन्द्रसिंह
23. सन्तोषकंवर पुत्री बजरंगसिंह
24. सोनकंवर पत्नी बजरंगसिंह प्रति[illegible] जाति राजपूत निवासी ग्राम दीपपुरा, तहसील कुचामन सिटी जिला नागौर राजस्थान।

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2023.02.13 14:39:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

25. गुलेशर खां पुत्र नूरमोहमद खां जाति कायमखानी कुचामन सिटी
26. गोविन्दराम पुत्र पुराराम जाति जाट निवासी लाम्बीडेरी इण्डाली
27. नटवरसिंह पुत्र बहादुरसिंह
28. नागरसिंह पुत्र बहादुरसिंह
29. पुखराजसिंह पुत्र भंवरसिंह
30. बिजेन्द्रसिंह पुत्र भंवरसिंह प्रतिवादी 27 ता 30 समस्त जाति राजपूत निवासी दुजोद
31. ममतादेवी पत्नी बनवारीलाल जाति कुमावत निवासी चारणवास
32. रामदेवसिंह पुत्र हनुमानसिंह जाति राजपूत निवासी दलेलपुरा
33. सदाकंवर पत्नी रामसिंह जाति राजपूत निवासी राड़ की ढाणी, तहसील दातारामगढ,
34. सन्तोषकंवर पत्नी सज्जनसिंह जाति राजपूत निवासी प्रतापपुरा
35. महेन्द्रपालसिंह पुत्र भरतसिंह जाति राजपूत निवासी पालवास जिला सीकर
36. मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा कुचामन सिटी।
37. उप पंजियक कुचामन सिटी
38. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार कुचामन सिटी
39. कमला देवी पत्नी मालाराम जाट निवासी रघुनाथपुरा तहसील नावां जिला नागौर

दावा : इस्तकरार हक भू–विभाजन बाबत अन्तर्गत धारा 53,88, राज. काश्त. अधि. 1955

उपस्थित :– श्री भीकमचन्द अधिवक्ता वादीया की ओर से।

श्री नरेश नेहरा अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 39 की ओर से।

निणर्य

दिनॉक :– 27.12.2022

यह है वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि ग्राम दीपपुरा तहसील कुचामन सिटी सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 190 रकबा 3.25 हैक्टर, खसरा नम्बर 191 रकबा 0.54 हैक्टर, खसरा नम्बर 192 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 193 रकबा 5.08 हैक्टर, खसरा नम्बर 194 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 195 रकबा 3.2542 हैक्टर, खसरा नम्बर 196 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 197 रकबा 3.42 हैक्टर, खसरा नम्बर 198 रकबा 3.29 हैक्टर, खसरा नम्बर 44 रकबा 0.23 हैक्टर, खसरा नम्बर 47 रकबा 0.55 हैक्टर, खसरा नम्बर 490 / 195 रकबा 0.0768 हैक्टर, खसरा नम्बर 493 / 197 रकबा 0.80 हैक्टर, खसरा नम्बर 494 / 198 रकबा 1.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 495 / 198 रकबा 0.13 हैक्टर, खसरा नम्बर 496 / 197 रकबा 0.13 हैक्टर, खसरा नम्बर 497 / 195 रकबा 0.13 हैक्टर, कुल खसरा 17 कुल रकबा 21.9610 हैक्टर, स्थित चली आ रही है। उपरोक्त भूमि में से तत्कालिन का[illegible] पुत्र भरतसिंह व बिजेन्द्रसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत ने अपने खातेदारी [illegible]00 वर्गफीट अर्थात 0.0250 हैक्टर भूमि श्रीमती दीपादेवी पत्नी सांवर[illegible] देवी पत्नी प्रदीप कुमार जाति ब्राहाम्ण को बैचान किया व [illegible] 0.0250 हैक्टर भूमि पर सरोज देवी पत्नी सुनिल चौधरी को बैचान किया व दीपादेवी व [illegible]नीता देवी ने अपना सम्पूर्ण खरीदशुदा

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2023.02.13 14:39:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

भूमि 2700 वर्गफीट अर्थात 0.0250 हैक्टर भूमि को वादीया को बैचान किया गया, तब से उपरोक्त भूमि पर 2700+2700 वर्गफीट कुल 5400 वर्गफीट अर्थात 0.0501 हैक्टर भूमि पर वादीया काबिज खातेदार चली आ रही है। उपरोक्त भूमि में से जरिये विक्रय–पत्र द्वारा क्रम संख्या 2012000523 दिनांक 15.02.2012 द्वारा दीपा देवी व सुनिता चौधरी को बैचान किया व क्रम संख्या 201803471104297 दिनांक 19.12.2018 को जरिये विक्रय पत्र सरोज चौधरी को व विक्रय पत्र क्रमांक संख्या 2012000524 दिनांक 15.02.2012 को वादीया से सुनिता चौधरी को बैचान किया तब से काबिज होकर सम्पूर्ण 5400 वर्गफीट यानी 0.0501 हैक्टर भूमि पर वादीया काबिज होकर उपयोग उपभोग चली आ रही है। उपरोक्त भूमि में से वादीया 5400 वर्गफीट यानी 0.0501 हैक्टर भूमि पर मौके पर खसरा नम्बर 198 रकबा 3.29 हैक्टर भूमि पर उत्तर पश्चिम सीमा रास्ते पर स्थित चली आ रही है, जिनका नजरी–नक्शा वाद पत्र में अंकित किया गया है, उपरोक्त भूमि वर्णित नजरी–नक्शा अनुसार वादिया काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हकरती आ रही है, जिसका वादीया अपने बंट व हक हिस्से कि स्पष्ट खातेदारी अधिकारों कि घोषणा कराकर भू–विभाजन कराने कि हकदार है। उपरोक्त भूमि में से प्रतिवादी संख्या 30 बिजेन्द्र सिंह व प्रतिवादी संख्या 35 महेन्द्रपालसिंह के हक हिस्से में से 0.0501 हैक्टर भूमि वादीया के हक हिस्से तक कम कि जाकर वादीया को काबिज खातेदार घोषित किया जाकर भू–विभाजन किया जाना आवश्यक है, जिसकी वादीया हकदार है। बिनाय दावा पटवारी हल्का द्वारा उक्त भूमि कि तस्दीक करने बाबत कहा तो उन्होने इनकार कर दिया व ऐसा न्यायालय आदेश से ही किया जा बताया गया। वादिया की इस्तदुआ है कि ग्राम दीपपुरा तहसील कुचामन सिटी सरहद में स्थित कृषि भूमि के खसरा नम्बर 190 रकबा 3.25 हैक्टर, खसरा नम्बर 191 रकबा 0.54 हैक्टर, खसरा नम्बर 192 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 193 रकबा 5.08 हैक्टर, खसरा नम्बर 194 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 195 रकबा 3.2542 हैक्टर, खसरा नम्बर 196 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 197 रकबा 3.42 हैक्टर, खसरा नम्बर 198 रकबा 3.29 हैक्टर, खसरा नम्बर 44 रकबा 0.23 हैक्टर, खसरा नम्बर 47 रकबा 0.55 हैक्टर, खसरा नम्बर 490/195 रकबा 0.0768 हैक्टर, खसरा नम्बर 493/197 रकबा 0.8 हैक्टर, खसरा नम्बर 494/198 रकबा 1.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 495/198 रकबा 0.13 हैक्टर, खसरा नम्बर 496/197 रकबा 0.13 हैक्टर, खसरा नम्बर 497/195 रकबा 0.13 हैक्टर, कुल खसरा 17 कुल रकबा 21.9610 हैक्टर, में से खसरा नम्बर 198 रकबा 3.29 हैक्टर में से 5400 वर्गफीट यानी 0.0501 हैक्टर भूमि वादीया को काबिज खातेदारी अधिकार कि घोषणा की जाकर उक्त भूमि पर काबिज खातेदार प्रतिवादी संख्या 30 बिजेन्द्र सिंह व प्रतिवादी संख्या 35 महेन्द्रपालसिंह के हिस्से में से कम किया जावे। उक्त भूमि में से खसरा नम्बर 198 रकबा 3.29 हैक्टर में से वादीया के हक–हि[illegible] 5400 वर्गफीट यानी 0.0501 हैक्टर भूमि पर वादीया का मौके पर काबिज अनुसार भू–विभाजन किया जाकर नक्शा ट्रेस में तरमीम किये जाने के ओदश तहसीलदार कुचामन सिटी को प्रदान करावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2023.02.13 14:39:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद इतला अनुपस्थित रहे, जिससे उनके विरूद्व एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। सुनवाई दौरा कमलादेवी पत्नी मालाराम जाति जाट निवासी रघुनाथपुरा तहसील नावां की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. प्रस्तुत करने पर सुनवाई की जाकरउभय पक्षकारान को सुना गया तथा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. दिनॉक 29.08.2022 को स्वीकार कर कमला देवी पत्नी मालाराम जाट को प्रतिवादी सं. 39 संयोजित किया गया। प्रतिवादी सं. 39 ने दिनॉक 09.09.2022 को जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर कथन किया है कि ग्राम दीपपुरा के खसरा नम्बर 44, 47, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198 में से आवासीय भू–खण्ड 2700 वर्ग फीट का महेन्द्रपालसिंह पुत्र भरतसिंह राजपूत निवासी पालवास तहसील व जिला सीकर से जरिये रजिस्टर्ड बेचान दस्तावेज सं. 2012002352 दिनॉक 09.07.2012 को क्रय किया गया तथा एक आवासीय भू–खण्ड 2700 वर्ग फीट का बानो बेगम पत्नी मंगतूदीन जाति कारीगर निवासी कुचामनसिटी से बेचान दस्तावेज सं.202003471101034 दिनॉक 22.06.2020 को क्रय किया गया। इस प्रकार प्रतिवादी सं. 39 की कुल भूमि 5400 वर्ग फीट अर्थात 0.0501 हैक्टर है जिसका वह बंटवारा कराकर अपने भूमि की सेपरेट होल्डिंग कायम कराना चाहती है। दिनॉक 15.12.2022 को पक्षकार वादीया एवं प्रतिवादी सं. 39 ने राजीनामा प्रस्तुत कर कथन किया है कि उपरोक्त उनवान प्रकरण में वादीया एवं प्रतिवादीगण मौके पर काबिज अनुसार प्राथमिक डिक्री मंगवाने हेतु पूर्ण रूप से सहमत है इसलिए प्राथमिक डिक्री मंगवाने का आदेश प्रदान करावे।

दस्तावेजी साक्ष्य में चालू जमांबदी सम्वत 2075–2078 ग्राम दीपपुरा के खाता सं. 84 की नकल नक्शा ट्रेस की नकल प्रस्तुत की गई है। मौखिक साक्ष्य में किसी प्रकार का दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया।

उभय पक्षकारान अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई। वाद–पत्र एवं काउन्टर क्लेम में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अपने अपने हक हिस्से की भूमि का बंटवारा चाहा है तथा राजस्व रेकार्ड में एवं नक्शे में तरमीम किये जाने का निवेदन किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन किया गया। प्रश्नगत भूमि पक्षकार वादीया ने 2700 + 2700 वर्गफीट अर्थात 0.0501 हैक्टर एवं प्रतिवादी सं. 39 कमलादेवी ने वादग्रस्त खसरान में से 2700 + 2700 वर्गफीट अर्थात 0.0501 हैक्टर भूमि अलग अलग समय में खातेदारो से क्रय की गई, जिसका राजस्व रेकार्ड में अंकन होने से शेष रहा तथा मौके पर वरवक्त से काबिज चले आ रहे है तथा संबंधित खातेदार विजेन्द्रसिंह पुत्र भंवरसिंह राजपूत सा. दूजोद, महेन्द्रपालसिंह पुत्र भरतसिंह जाति राजपूत सा. पालवास जिला सीकर से भूखण्ड क्रय किये है, जिनके हक हिस्से में से भूमि [illegible] हुए वादीया एवं प्रतिवादी सं. 39 कमलादेवी को पंजिबद्व दस्तावेज अनुसार खातेदार [illegible] घोषित किया जावें। वादग्रस्त भूमि पर पक्षकारान अपने अपने हक हिस्से की भूमि पर काबिज चले आ रहे है जिसकी पुष्टि उपलब्ध दस्तावेज तथा वाद पत्र एवं काउन्टर क्लेम में अंकित अभिवचनो से होती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2023.02.13 14:39:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

जमाबंन्दी नकल सम्वत 2075–2078 ग्राम दीपपुरा के खाता संख्या 84 की प्रस्तुत की है जिसमे निम्वत प्रविष्टि दर्ज है :–

ग्राम का नाम :- दीपपुरा	अंतिम चौसाला आधार सम्वत :- 2075 - 2078 जमाबंदी 2075 (वर्ष 2018) से स्थायी
पटवार हल्का :- दीपपुरा	भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
भू.अभि.नि. :- पांचवा	क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
तहसील :- कुचामन	खाता संख्या नया :- 84
जिला :- नागौर	खाता संख्या पुराना :- 90

काश्तकार का नाम:-

1. अनिलकुमार पुत्र अन्नालाल हिस्सा- 4575/60749 जाति- रेगर सा. कुचामन खातेदार
2. कमलेशकंवर पत्नि अमरसिंह हिस्सा- 167/60749 जाति- राजपुत सा. इन्दोखा खातेदार
3. कमलादेवी पत्नि सांवरमल हिस्सा- 5424/60749 जाति- मेघवंशी सा. लालास खातेदार
4. किरणकंवर पुत्र बजरंगसिंह हिस्सा- 2790/60749 जाति- राजपुत सा. देह खातेदार
5. गोविन्दराम पुत्र पुराराम हिस्सा- 809/121498 जाति- जाट सा. लाम्बीडेरी इण्डाली खातेदार
6. चान्दकंवर पत्नि महेन्द्रसिंह हिस्सा- 167/121498 जाति- राजपुत सा. इन्दोखा खातेदार
7. देवाराम पुत्र जीवणराम हिस्सा- 809/121498 जाति- जाट सा.लाम्बीडेरी इण्डाली खातेदार
8. दिलीपसिंह पुत्र बजरंगसिंह हिस्सा- 2790/60749 जाति- राजपुत सा. देह खातेदार
9. नटवरसिंह पुत्र बहादुरसिंह हिस्सा- 42/60749 जाति- राजपुत सा. दुजोद खातेदार
10. नरेन्द्रकुमार पुत्र जीवणराम हिस्सा- 4575/121498 जाति- रेगर सा. कुचामन खातेदार
11. नरपतसिंह पुत्र बजरंगसिंह हिस्सा- 2790/60749 जाति- राजपुत सा. देह खातेदार
12. नागरसिंह पुत्र बहादुरसिंह हिस्सा- 42/60749 जाति- राजपुत सा. दुजोद खातेदार
13. पुखराजसिंह पुत्र भंवरसिंह हिस्सा- 2554/60749 जाति- राजपुत सा. दूजोद खातेदार
14. प्रभातप्रकाशसिंह पुत्र हनुवंतसिंह हिस्सा- 26697/121498 जाति- राजपुत सा. देह खातेदार

राहिन हिस्सा-26697/121498 (पूर्ण खाता) एचडीएफसी बैंक लिमिटेड शाखा KUCHAMAN CITY

15. प्रसान्तकुमार पुत्र अन्नालाल हिस्सा- 4575/60749 जाति- रेगर सा. कुचामन खातेदार
16. विजेन्द्रसिंह पुत्र भंवरसिंह हिस्सा- 4397/121498 जाति- राजपुत सा. दूजोद खातेदार
17. ममतादेवी पत्नि बनवारीलाल हिस्सा- 146/60749 जाति- कुमावत सा. चारणवास खातेदार
18. महेन्द्रपालसिंह पुत्र भरतसिंह हिस्सा- 5233/121498 जाति- राजपुत सा. पालवास जिला सीकर खातेदार
19. राजस्थान सरकार हिस्सा- 1635/121498 खातेदार
20. रामदेवसिंह पुत्र हनुमानसिंह हिस्सा- 167/121498 जाति- राजपुत सा. दलेलपुरा खातेदार
21. विजयकुमार पुत्र अन्नालाल हिस्सा- 4575/60749 जाति- रेगर सा. कुचामन खातेदार
22. सदाकंवर पत्नि रामसिंह हिस्सा- 167/121498 जाति- राजपुत सा. राड की ढाणी तह. दातारामगढ खातेदार
23. सन्तोषकंवर पत्नि सज्जनसिंह हिस्सा- 167/121498 जाति- राजपुत सा. प्रतापुरा खातेदार
24. सन्तोषकंवर पुत्री बजरंगसिंह हिस्सा- 2790/60749 जाति- राजपुत सा. देह खातेदार
25. सुरेन्द्रकुमार पुत्र जीवणराम हिस्सा- 4575/121498 जाति- रेगर सा. कुचामन खातेदार
26. सोनकंवर पत्नि बजरंगसिंह हिस्सा- 2790/60749 जाति- राजपुत सा. देह खातेदार,

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण		कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
190	3.2500	बारानी 2	3.2500	13.00		स्वीकृत नामांतरकरण : 16 01/11/2021 शुद्धिपत्र	
196	0.0100	गै.मु.कुंआ	0.0100			स्वीकृत नामांतरकरण : 735 24/06/2021 रहनमुक्त	
198	3.2900	बारानी 2	3.2900	[illegible]		स्वीकृत नामांतरकरण : 748 03/11/2021 न्याया. आदेश	
44	0.2300	बारानी 2	0.2300	0.92		स्वीकृत नामांतरकरण : 778 06/07/2022 न्याया. आदेश	
47	0.5500	बारानी 2	0.5500	2.20		स्वीकृत नामांतरकरण : 799 21/10/2022 रहननामा	
490/195	0.0768	बारानी 2	0.0768	0.31			

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2023.02.13 14:39:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

ग्राम का नाम :- दीपपुरा	अंतिम चौसाला आधार सम्वत :- 2075 - 2078 जमाबंदी 2075 (वर्ष 2018) से स्थायी
पटवार हल्का :- दीपपुरा	भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
भू.अभि.नि. :- पांचवा	क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
तहसील :- कुचामन	खाता संख्या नया :- 84
जिला :- नागौर	खाता संख्या पुराना :- 90

494/198	1.0100	बारानी 2	1.0100	4.04		
495/198	0.1300	गै.मु.रास्ता	0.1300			
595/193	0.3648	बारानी 2	0.3648	1.46		
610/195	1.2600	बारानी 2	1.2600	5.04		
616/197	1.4097	बारानी 2	1.4097	5.64		
620/191	0.5200	बारानी 2	0.5200	2.08		
622/493	0.0485	बारानी 2	0.0485	0.19		
कुल खसरे - 13	12.1498		12.1498	48.0400		

वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों में भी कथन किया है कि पक्षकारान वादीया एवं प्रतिवादी सं. 39 अपने–अपने हक हिस्से की भूमि पर मौकें पर काबिज चले आ रहे है परन्तु राजस्व रेकार्ड एवं नक्शे में पृथक–पृथक हक हिस्सा दर्ज नही हैं, जिससे उन्हे भूमि रूपान्तरण एवं अन्य कृषि कार्य हेतु ऋण की आवश्यकता होने पर भी नही मिल रहे है। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि उपरोक्त वाद वादी साबित होने से प्राथमिक डिक्री काबिल योग्य पाया गया, अतः निम्न प्रकार वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया जाता है :–

आदेश

वाद प्राथमिक डिक्री कर घोषणा कि जाती है ग्राम दीपपुरा के खाता संख्या 84 खसरा नम्बर 190, 196, 198, 44, 47, 490 / 195 494 / 198, 495 / 198, 595 / 193, 610 / 195, 616 / 197, 620 / 191, 622 / 493 कुल रकबा 12.1498 हैक्टर में प्रतिवादी सं. 30 बिजेन्द्रसिंह पुत्र भंवरसिंह हिस्सा 4397 / 121498 जाति राजपूत सा. दूजोद खातेदार प्रतवादी सं. 35 महेन्द्रपालसिंह पुत्र भरतसिंह हिस्सा 5233 / 121498 जाति राजपूत सा. पालवास जिला सीकर खातेदार के हिस्से में से 0.0501 हैक्टर का वादीया सरोज चौधरी एवं 0.0501 हैक्टर का प्रतिवादी सं. 39 कमलादेवी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है शेष खाता बदस्तूर रहेगा। तहसीलदार कुचामनसिटी को आदेश दिये जाते है कि रूबरू पक्षकारान (खातेदारान) मौके पर जाकर बंटवारा स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करें। प्राथमिक डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे। तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनॉक 27.12.2021 को खुले इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2023.02.13 14:39:50 IST
Reason: SelfAttested

(बाबूलाल जाट R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

डिक्री मुकदमा इब्तेदाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला–नागौर (राज.)

बइजलास : बाबुलाल जाट (R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या :– 355/2021 **GCMS 2021/1188**

वादी

1. सरोज चौधरी पत्नी सुनील चौधरी उम्र 35 वर्ष निवासी सुभाष कॉलोनी, कृषि उपज मण्डी के सामने, तहसील व जिला सीकर राजस्थान, हाल निवासी जैन कॉलोनी, अहिंसा सर्किल, डीडवाना रोड़ कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान

बनाम

प्रतिवादीगणः–

1. अनिलकुमार पुत्र श्री अन्नालाल
2. गोपाल पुत्र सुवाराम
3. गोपाल पुत्र सेवाराम
4. जयराम पुत्र सेवाराम
5. जयराम पुत्र सुवाराम
6. नरेन्द्र कुमार पुत्र जीवणराम
7. प्रसान्त कुमार पुत्र अन्नालाल
8. महावीर पुत्र गजाधर
9. विजय कुमार पुत्र अन्नालाल
10. सुरेन्द्र कुमार पुत्र जीवणराम
11. हणमान पुत्र सुवाराम
12. हनुमान प्रसाद पुत्र सेवाराम प्रतिवादी 1 ता 12 समस्त जाति रैगर निवासी कुचामन सिटी
13. कमलकांत पुत्र रामेश्वरलाल जाति जाट निवासी कुचामन सिटी, जिला नागौर,
14. देवाराम पुत्र जीवणराम जाति जाट निवासी लाम्बी ढेरी, ग्राम ईण्डाली, तहसील नांवा,
15. कमलेशकंवर पत्नी अमरसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम इन्दोखा, तहसील नांवा,
16. चान्दकंवर पत्नी महेन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम इन्दोखा, तहसील नांवा,
17. कमलादेवी पत्नी सांवरमल जाति मेघवंषी ग्राम लालास तहसील नांवा जिला नागौर,
18. किरणकंवर पत्नी बजरंगसिंह
19. दिलीपसिंह पुत्र बजरंगसिंह
20. नरपतसिंह पुत्र बजरंगसिंह
21. प्रभातप्रकाशसिंह पुत्र हनुवंतसिंह
22. प्रमिला राठौड़ पत्नी लोकेन्द्रसिंह
23. सन्तोषकंवर पुत्री बजरंगसिंह
24. सोनकंवर पत्नी बजरंगसिंह प्रतिवादी 18 ता 24 समस्त जाति राजपूत निवासी ग्राम दीपपुरा, तहसील कुचामन सिटी जिला नागौर राजस्थान [illegible]
25. गुलेशर खां पुत्र नूरमोहमद खां जाति [illegible]
26. गोविन्दराम पुत्र पुराराम जाति जाट [illegible]
27. नटवरसिंह पुत्र बहादुरसिंह
28. नागरसिंह पुत्र बहादुरसिंह

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2023.02.13 14:39:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

29. पुखराजसिंह पुत्र भंवरसिंह
30. बिजेन्द्रसिंह पुत्र भंवरसिंह प्रतिवादी 27 ता 30 समस्त जाति राजपूत निवासी दुजोद
31. ममतादेवी पत्नी बनवारीलाल जाति कुमावत निवासी चारणवास
32. रामदेवसिंह पुत्र हनुमानसिंह जाति राजपूत निवासी दलेलपुरा
33. सदाकंवर पत्नी रामसिंह जाति राजपूत निवासी राड़ की ढाणी, तहसील दातारामगढ,
34. सन्तोषकंवर पत्नी सज्जनसिंह जाति राजपूत निवासी प्रतापपुरा
35. महेन्द्रपालसिंह पुत्र भरतसिंह जाति राजपूत निवासी पालवास जिला सीकर
36. मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा कुचामन सिटी।
37. उप पंजियक कुचामन सिटी
38. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार कुचामन सिटी
39. कमला देवी पत्नी मालाराम जाट निवासी रघुनाथपुरा तहसील नावां जिला नागौर

दावा : **इस्तकरार हक भू–विभाजन बाबत अन्तर्गत धारा 53,88, राज. काश्त. अधि. 1955**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–बरू वकील श्री भीकमचन्द अधिवक्ता हाजिरी .... मिनजानिब मुदई रू–बरू श्री नरेश नेहरा मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद **प्राथमिक डिक्री कर घोशणा कि जाती है ग्राम दीपपुरा के खाता संख्या 84 खसरा नम्बर 190, 196, 198, 44, 47, 490/195 494/198, 495/198, 595/193, 610/195, 616/197, 620/191, 622/493 कुल रकबा 12.1498 हैक्टर में प्रतिवादी सं. 30 बिजेन्द्रसिंह पुत्र भंवरसिंह हिस्सा 4397/121498 जाति राजपूत सा. दूजोद खातेदार प्रतवादी सं. 35 महेन्द्रपालसिंह पुत्र भरतसिंह हिस्सा 5233/121498 जाति राजपूत सा. पालवास जिला सीकर खातेदार के हिस्से में से 0.0501 हैक्टर का वादीया सरोज चौधरी एवं 0.0501 हैक्टर का प्रतिवादी सं. 39 कमलादेवी को खातेदार** काश्तकार **घोषित किया जाता है शेष खाता बदस्तूर रहेगा।** तहसीलदार **कुचामनसिटी को आदेश दिये** जाते है **कि रूबरू पक्षकारान (खातेदारान) मौके पर** जाकर **बंटवारा स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करें।** प्राथमिक **डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया** जावे। **तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो।**

निज .... मुबलिग .... बाबत...................खर्चा इस मुकदमे के मय सूद शरह.... फीसदी सालाना आज की तारिख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 27 माह 12 सन् 2022 को जारी की गई।

(मुहर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

मुदई	रूपयें	पैसे	मुदायलय	रूपयें	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकिल		
महन्ताना वकिल			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मु[illegible]		
मीजान			[illegible]		

नोटः इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो [illegible] हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2023.02.13 14:39:50 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान सरकार

कार्यालय तहसीलदार (भू–अ.) कुचामन सिटी जिला नागौर (राज0)

क्रमांक/भू–अ./2022/2965 दिनांक :– 30/12/2022

प्रेषित –

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
कुचामनसिटी

विषय – राजस्व प्रकरण वाद सं. 355/2021 सरोज चौधरी बनाम अनिल कुमार वगैरह में पारित प्राथमिक डिक्री की पालना बाबत्।

प्रसंग – श्रीमान के पत्रांक कोर्ट/2022/348 दिनांक 27.12.2022 के संदर्भ में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में निवेदन है कि राजस्व प्रकरण वाद सं. 355/2021 सरोज चौधरी बनाम अनिल कुमार वगैरह में पारित प्राथमिक डिक्री अनुसार बंटवारा स्कीम भू.अ.नि. पांचवा व पटवारी हल्का दीपपुरा की उपस्थिति में तैयार करवाई गई है ।

अतः मूल ही बंटवारा स्कीम श्रीमान की सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्न – उपरोक्तानुसार

तहसीलदार(भू.अ.)कुचामनसिटी
तहसीलदार (भू.अ.) कुचामन सिटी

राजस्व
5/1/2023

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2023.02.13 14:39:50 IST
Reason: SelfAttested

नजरी नक्शा ग्राम डीपपुरा ख०नं० 198, 494/198

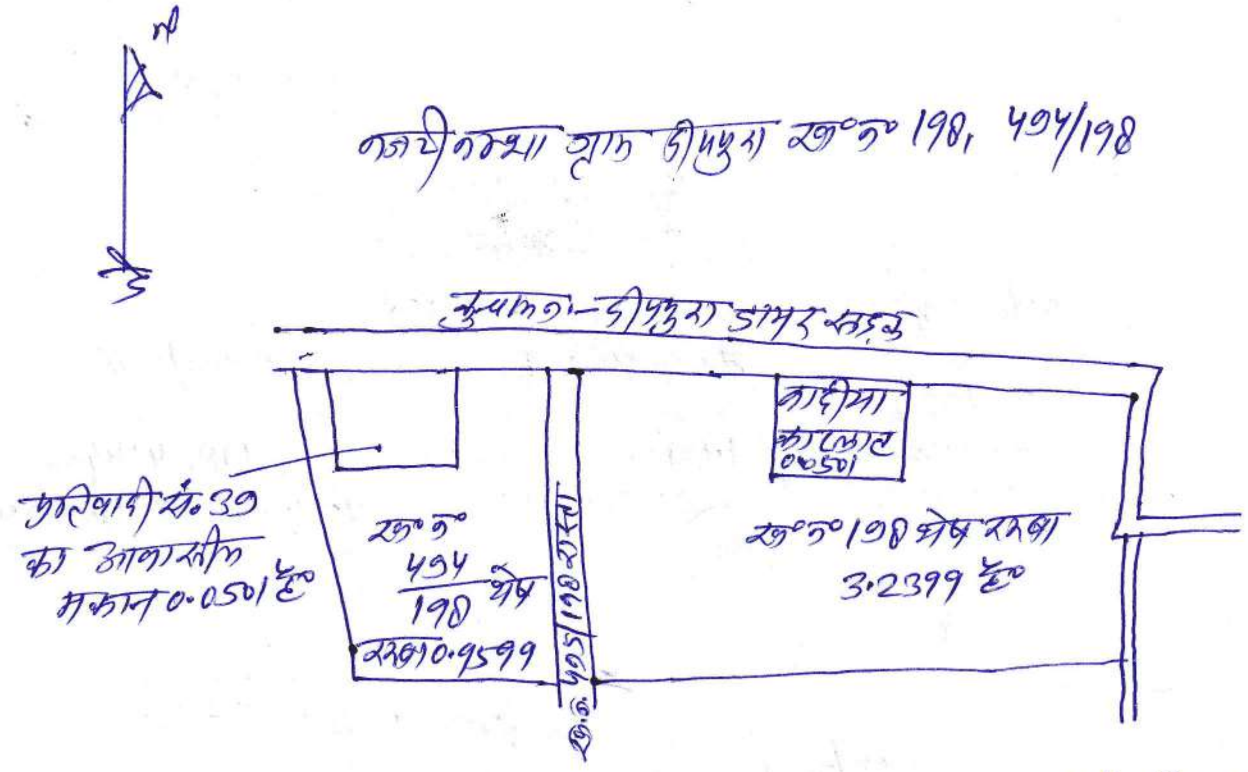

ख०नं० 494/198 में 0.0501 हैं० में प्रतिवादी सं. 39 कमलादेवी पत्नि मालीराम जाट सा० रघुनाथपुरा का आवासीय मकान बना हुआ है तथा ख०नं० 198 रकबा 3.29 हैक्टर में से 0.0501 हैं० में वादीया सरोज चौधरी पत्नि सुनील चौधरी सा० सीकर हाल निवासी कुचामनसिटी का प्लॉट है जिसमें चारदीवारी बनी हुई है। प्रतिवादी सं० 39 व वादीया का उक्त खसरात के राजस्व रेकर्ड में नाम दर्ज नहीं है। मौके पर वादीया व प्रतिवादी सं. 39 द्वारा प्रस्तुत पंजीकृत बैयानामों के अनुसार निम्नानुसार स्थिति है:—

	ख०नं०	रकबा (हैं०)
(1) सरोज चौधरी पत्नि सुनील चौधरी सा० सीकर हाल निवासी कुचामनसिटी	198	0.0501
(2) कमलादेवी पत्नि मालीराम जाट सा० रघुनाथपुरा	494/198	0.0501

(3) विजेन्द्रसिंह पुत्र मंगरसिंह हिस्सा $\frac{3896}{120496}$ जाति राजपूत सा० कुजोड, महेन्द्रपालसिंह पुत्र भरतसिंह हिस्सा $\frac{4732}{120496}$ जाति [illegible] सा० भीलवाड़ा जिला सीकर [illegible] इन्द्राज बहस्तूर

198 — 3.2399
494/198 — 0.9599
व शेष ख०नं० 190, 196, [illegible], 490/195, 495/198, 595/193, 610/195, 616/197, 620/191, 622/493 कुल किता — 13 कुल रकबा 12.0496 हैं०

सुनील चौधरी

तुलछा राम

Devraj

कमलादेवी

पटवारी

पटवारी डीपपुरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2023.02.13 14:39:50 IST
Reason: SelfAttested

मु-नं 355/2021

मौका रिपोर्ट
(विभाजन प्रस्ताव)

मैं सुनील कुमार......(नाम) तहसीलदार कुचामन सिटी, न्यायालय सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी, कुचामन सिटी के आदेश क्रमांक 2022/348 दिनांक 27-12-22 की पालना में भूमि के विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु आज दिनांक 28-12-22 समय 1:00PM बजे आराजी खसरा नम्बर-198, 494/198 वाके ग्राम दीपपुरा पटवार हल्का दीपपुरा...... पर श्री विजेन्द्र कुमार ILR / भिकर पटवारी नायब तहसीलदार / भू अभिलेख निरीक्षक / पटवारी के साथ मौके पर पहुंचा।

न्यायालय सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी, कुचामन सिटी में विचाराधीन प्रकरण संख्या-355/2021 के समस्त पक्षकारों को तहसील कार्यालय से नोटिस क्रमांक ......—...... दिनांक ......—...... द्वारा जारी किये गये थे जिनकी तामील विधिवत रूप से करवायी गयी। समस्त पक्षकारों में से मौके पर निम्न पक्षकार उपस्थित थे :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	वादी/ प्रतिवादी
1.	सरोज चौधरी	w/o सुनील	36	जाट	वादीया
2.	कमला देवी	w/o मालाराम		जाट	प्रतिवादी-39

उपर्युक्त पक्षकारों की उपस्थिति में भूमि का मुआयना मौका किया गया एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम-1955 के नियम-18 से 21 के अनुसार निम्न प्रकार से विभाजन प्रस्ताव तैयार किये गये :-

इक तरफ से पीछे अर्जी तथ्य संलग्न है —

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2023.02.13 14:39:50 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार (भू.अ.) कुचामन सिटी

LTI कमलादेवी

सुनील चौधरी
तुलछाराम

ILR (भिकर)

पटवारी दीपपुरा

उक्त विभाजन प्रस्ताव मौके पर उपस्थित पक्षकारों और मौतबिरानों को पढ़कर सुनाये गये। मौके पर उपस्थित पक्षकारों ने पढ़, सुन एवं समझ कर निम्न प्रकार हस्ताक्षर किये :–

क.सं.	नाम	पिता का नाम	जाति	हस्ताक्षर	वादी/. प्रतिवादी.
1.	सरोज चौधरी	w/o सुनील	जाट	Saroj	वादिनी
2.	कमलादेवी	w/o मालाराम	जाट	LTI कमलादेवी	प्रतिवादी-39

निम्न पक्षकारों ने विभाजन प्रस्ताव पढ़, सुनकर, समझ कर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया :–

क.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	वादी/. प्रतिवादी.
	Nil				

मौके पर अन्य मौतबिरान को भी उक्त विभाजन प्रस्ताव पढ़कर सुनाये गये और निम्न प्रकार हस्ताक्षर करवाये गये :–

क.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	पता/ . मोबाईल नं..	
1.	सुनील कुमार	S/o ओमप्रकाश	जाट	42	9799490685	सुनील चौधरी
2.	तुलछाराम	S/o मालाराम	जाट	28	9024636704	तुलछाराम

इस प्रकार आज दिनांक 20/12/20.. को यह मौका रिपोर्ट तैयार की गई है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2023.02.13 14:39:50 IST
Reason: SelfAttested

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
पटवारी	भू. अ. निरीक्षक	तह.	तहसीलदार
पं. मं.	वृत पांचवा........	....	....

तहसीलदार (भू.अ.) कुचामन सिटी